राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 36 / 2018

कपिल गालव पुत्र ललित गालव जाति ब्राहमण निवासी सीन्धनिया तह0 मांगरोल जिला बारां ..... वादी

♠ बनाम ♠

1. रामचरण पुत्र हेमचंद्र
2. ललित गालव पुत्र रामचरण

} जातियान ब्राहमण निवासीगण सीन्धनिया तहसील मांगरोल

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बंटवारा व घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायर दिनांक–18.05.2018

निर्णय दिनांक : 13.06.2018

वादपत्र में वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी नं0 1, वादी के दादा व प्रतिवादी नं0 2 वादी के पिता है। वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के मध्य विचारो में मतभेद होने से वादी को अपनी पैतृक सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादी के खाते में ग्राम सीधन्या में खाता संख्या 74 खसरा नं0 79 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 83 रकबा 1.75 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.29 है0, कुल किता 6 रकबा 5.61 है0 आराजी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पत्ति आराजी में पुत्र का हिस्सा निहित होता है। अतः उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 81 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 3.39 है0 वादी के पृथक से खाते में दर्ज करके वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मजमेंआम में उपस्थित होकर दिनांक 13.06.2018 को जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समस्त बिन्दुओ को स्वीकार किया है एवं किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवायी है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। चूकि प्रतिवादीगण को ग्राम सीधन्या में खाता संख्या 74 के खसरा नं0 79 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 82 रकबा

73 है0, खसरा नं0 83 रकबा 1.75 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.29 है0, कुल किता 6 रकबा 5.61 है0 आराजी में से खसरा नं0 81 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 3.39 है0 वादी के पृथक से खाते में दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है अर्थात प्रतिवादीगण उक्त आराजी को वादी के खाते पृथक से दर्ज करने में सहमत है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं वादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर ग्राम सीधन्या के खसरा नं0 81 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 85 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 रकबा 3.39 है0 आराजी को वादी के खाते पृथक से दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।